



Real Estate | भू-संपदा
Regulatory Authority | विनियामक प्राधिकरण
Madhya Pradesh | मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760

Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2022/II-R/A-05/F-314/1371

भोपाल, दिनांक 21/04/2022

प्रति,

मां सिद्धदात्री डेव्हलपर्स शिवकॉन एलएलपी,
आजादी वार्ड, मण्डला

विषय: परियोजना अनंत श्री, मण्डला (REF. No. 466431424213) के संबंध में।

- O -

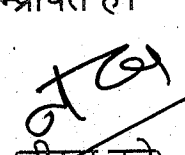
कृपया विषयांकित आपके आवेदन का स्मरण करें।

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश हुए हैं कि :-

" परियोजना अनंत श्री, मण्डला का पंजीकरण सशर्त मान्य किया गया है।
परियोजना को पंजीयन क्रमांक P-MDL-22-3295 आवंटित किया गया है।
परियोजना प्रमाण पत्र एवं आदेश की प्रति संलग्न है।"

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


(नीरज दुबे)
सचिव
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

का नाम- अनंत श्री, मण्डला

की तारीख

आदेश

प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर

19.04.2022

प्रोजेक्ट का नाम - अनंत श्री, मण्डला।

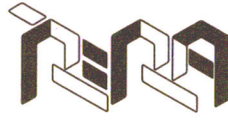
सम्प्रवर्तक का नाम- मां सिद्धदात्री डेव्हलपर्स शिवकॉन एलएलपी, मण्डला।

- 1- प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 18.04.2020 को सुनवाई में आवेदक की ओर से श्री पुलकित ज्योतषी, भागीदार उपस्थित हुए। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के सूचना पत्र क्रमांक- 1159 दिनांक 07.04.2022 से वांछित समस्त जानकारियां उनके द्वारा प्रस्तुत कर दी गई हैं। पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर परियोजना पंजीयन के आवेदन को स्वीकार किये जाने की अनुशंसा की गई है।
- 2- प्रकरण में मां सिद्धदात्री डेव्हलपर्स शिवकॉन एलएलपी, मण्डला आवेदक हैं, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म श्रेणी के आवेदक हैं, उनके द्वारा परियोजना- अनंत श्री, मण्डला का पंजीयन भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 धारा 4 (2) एवं म.प्र. भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम 3 के अंतर्गत अपेक्षित परियोजना विवरण, सक्षम प्राधिकारी की प्रतियां एवं शपथ पत्र समर्थित घोषणाएं प्रस्तुत की गई हैं। परियोजना ग्राम-खैरी, तहसील एवं जिला- मण्डला के खसरा क्र. 5/2, 5/3ka कुल रकबा 2.441 हेक्टेयर में से नेट प्लानिंग ऐरिया- 2.0275 हेक्टेयर पर प्रस्तावित है। पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका अनुसार भूमि आवेदक फर्म के स्वामित्व की है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र फार्म बी के अनुसार भाररहित है।
- 3- परियोजना नवीन हो कर भूखण्ड विकास से संबंधित है जिसमें 2.0275 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रुपये 288.32 लाख की लागत से विकसित की जानी है, जिसमें 90 भूखण्ड विकसित किये जाने हैं। वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदन में दर्शाये अनुसार दिनांक 02.01.2023 है, जो मान्य की जाती है। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करे एवं सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।

(सुरेन्द्र सिंह राजपूत)
सदस्य

(ए.पी. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

अवर सचिव
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)



रेरा भवन, अरेरा हिल, भोपाल, दूरभाष : 0755-2556340, 2556760
Website : www.rera.mp.gov.in, Email id : secretaryrera@mp.gov.in



प्ररूप - ग, नियम 6-(1)

परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा -5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिये दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक : **P-MDL-22-3295**

परियोजना का नाम : **अनंत श्री, मण्डला-म.प्र.**

परियोजना का विवरण पता सहित :

1. व्यक्ति के मामले में: श्री/श्रीमती पुत्र श्री/श्रीमती.....
..... तहसील जिला राज्य

अथवा

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में: **MAA SIDDHDATRI DEVELOPERS**

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी, इसका पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान **CIVCON LLP, AZAD
WARD- MANDLA- M.P.**

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है:

- संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।
- संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-17 के अनुसार आवंटितगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।
- संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-4 उपधारा-(2) खण्ड (I) उपखण्ड (D) के प्रावधान अनुसार आवंटितगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
- पंजीयन दिनांक **20-04-2022** से प्रारंभ होकर दिनांक **02-01-2023** तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-7 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार नवीकृत न कर दिया जावे।
- संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
- संप्रवर्तक, जिस क्षेत्र में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।

4. उक्त परियोजना प्रकरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9,11,14,15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन मान्य किया जाता है।

दिनांक : **20-04-2022**

स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण